

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन दस्तावेज प्राप्त
करने के लिए आवेदन शुल्क और प्रभार

- आवेदन/ अनुरोध सहित अपेक्षित शुल्क और कॉपी प्रभारों का भुगतान प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग, भूतल, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से जाकर उचित रसीद लेकर नकद रूप से किया जाना चाहिए। शुल्क का भुगतान अवर सचिव या लेखा अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में आहरित डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/ भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा भी किया जा सकता है। भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में भुगतान किए गए शुल्क के मामले में यह “डाकघर, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली” में देय होना चाहिए।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन शुल्क आदि के संबंध में नियमों और विनियमों संबंधी विवरण कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की वेबसाइट अर्थात www.persmin.nic.in पर देखा जा सकता है।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]
No. 210]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 18, 2006/वैशाख 28, 1928,
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 18, 2006/VAISAKHA 28, 1928

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2006

सा.का.नि. 294(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) संशोधन नियम, 2006 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 में,—
(क) नियम 3 में, “बैंकर चैक” शब्दों के पश्चात्, “या भारतीय पोस्टल आर्डर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(ख) नियम 4 में, “बैंकर चैक” शब्दों के पश्चात्, “या भारतीय पोस्टल आर्डर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(ग) नियम 5 में, “बैंकर चैक” शब्दों के पश्चात्, “या भारतीय पोस्टल आर्डर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

[फा. सं. 34012/8(एस.)/2005-स्था. (बी.)]

सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), तारीख 1 अक्टूबर, 2005 में, सं. सा.का.नि. 336(अ) तारीख 16 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. सा.का.नि. 649(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2005 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2006

G.S.R. 294(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of Sub-section (2) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Amendment Rules, 2006.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005,—
 - (a) in rule 3, after the words “bankers cheque”, the words “or Indian Postal Order” shall be inserted;
 - (b) in rule 4, after the words “bankers cheque”, the words “or Indian Postal Order” shall be inserted;
 - (c) in rule 5, after the words “bankers cheque”, the words “or Indian Postal Order” shall be inserted;

[F. No. 34012/8(S)/2005-Estt. (B)]

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 1st October, 2005 *vide* number G.S.R. 336 dated the 16th September, 2005 and were amended *vide* number G.S.R. 649(E) dated the 27th October, 2005.